हरियाणा सिविल सचिवालय चण्डीगढ़
24 AUG 2021
87917
परिचालन संख्या

Chief Secretary's Office Haryana
Receipt No. 87917
Date 31/8/2021

File No13011/32/2019-O.L(CTB)

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR

MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE/RAJBHASHA VIBHAG

NDCC-II Building, Jai Singh Road,
New Delhi-1, Dated : 13August, 2021

13 AUG 2021

OFFICE MEMORANDUM

SP 5846

Subject : Filling up of thirteen Post of Assistant Director Level-10, Revised(Rs. 56,100- 1,77,500/-) on deputation basis in Central Translation Bureau a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs.

The services of thirteen suitable officers are urgently required for filling up the post of Assistant Director in Central Translation Bureau a subordinate office of the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs on deputation basis, in the revised pay scale pay Level-10, (**Rs. 56,100-1,77,500**). The qualifications and experience required for the post and other details are given in Annexure-I. The pay of the selected officer will be regulated in accordance with the instruction contained in the Department of Personnel & Training Office Memorandum No. 6/8/2009-Estt.(Pay-II) dated 17th June, 2010, as amended from time to time.

2. Earlier also an Office Memorandum issued on 23.12.2019 to fill up 8 vacancies of Asstt. Directors in Central Translation Bureau on deputation basis in revised pay scale of level-10 (Rs56100-177500/-). Only 2 (Two) applications were received within the prescribed time limit.

It is therefore decided to re-advertise the aforesaid post but the number of post has been modified now to 13(thirteen). Applicants who have applied earlier in response to Office Memorandum dated 23.12.2019 need not to apply again. But for them also the condition mentioned in column 5 of Annexure-I of RR in advertisement of this office memorandum will be applicable. And they have also required to submit their latest APAR/Integrity/Vigilance Clearance etc as given below from 3(i)-3(v).

3. It is requested that the application **(in duplicate)** in the enclosed performa Annexure-II) of suitable, willing and eligible officers and who can be spared immediately on selection may be sent to the undersigned within 60 days from the date of issue of the Office Memorandum or from the date of publication of this Office Memorandum in Employment News/Rozgar Samachar, whichever is later along with the following documents :-

i. Clear Photostate copies of their ACR/APAR for the last 5 years i.e. 2015-16 to 2019-2020 duly attested by Group "A" Officer.
ii. Integrity Certificate.
iii. Certificate confirming that no disciplinary/vigilance case is either pending or being contemplated against the officer.
iv. A statement showing major or minor penalties, if any, imposed on the applicant during the last 10 years.
v. Cadre clearance in respect of the applicant.

4. Application received after the closing date or without the photo state copies of ACR/APAR duly attested by a Group "A" Officer or without recommendation of the concerned office or otherwise found incomplete are liable to be rejected. Officers who apply for the post will not be allowed to withdraw their

Services-II Branch
Diary No 87917
Date 01/09/21

candidature subsequently. While forwarding the applications, it may be verified and certified the particulars furnished by the officer are correct. It may also be confirmed that in the event of selection for appointment, the officer concerned will be immediately relieved of his duties.

5. In column 5 of Annexure-I of RR in Hindi advertisement issued earlier on 23.12.2019, the deputation period may please be read "ordinarily not exceed 4 years" in place of "ordinarily not exceed 3 years".

Anand Kumar 16/8/21

(ANAND KUMAR)
DIRECTOR (TRAINING & POLICY)
Tele: 011-23438250

1. All Ministry/Department of Government of India.
2. The President's Secretariat, New Delhi
3. The Vice President's Secretariat, New Delhi
4. The Prime Minister's Office, New Delhi
5. The Cabinet Secretariat, New Delhi
6. Election Commission of India, New Delhi
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat
8. Union Public Service Commission.
9. Central Vigilance Commission.
10. Comptroller General of India, New Delhi
11. All Officers, Desks and Sections in the Ministry of Home Affairs (proper), Department of Justice and Department of J&K Affairs & Department of Official Language.
12. All Cadre Unit of Ministry of Home Affairs.
13. All State Government & UT's
14. Director(Training/Policy/Technical/Implementation), Department of Official Language.
15. Director, Central Hindi Training Institute, New Delhi.
16. Director, Central Translation Bureau, New Delhi.
17. Senior Technical Director, NIC, Department of Official Language, New Delhi for placing this OM on the website of Department of Official Language.
18. Guard File.
19. Spare Copy 20

Anand Kumar 16/8/21

(ANAND KUMAR)
DIRECTOR (TRAINING & POLICY)

ANNEXURE-I

Qualification, experience and other details required for the post of Assistant Director, Central Translation Bureau, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi.

1	Name of the Post	Assistant Director
2	No. of Post(s)	13 (Thirteen)
3	Classification	General Central Service Group "A" Gazetted Non-Ministerial
4	Scale of Pay	Pay Matrix Level-10,(Rs.56,100-177,500)
5	Period of Deputation & age limit.	The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.
6	Eligibility	Deputation: I. Officers from the Central/State Government/Union Territories :- (a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; OR (ii) With three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Level -7 of the Pay Matrix Rs. 44,900-1,42,400) or equivalent in the parent cadre / department; and (b)possessing the following education qualifications and experience. Essential: (i) Master's Degree of a recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level, OR Master's degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the Degree level, OR Master's degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English with Hindi Medium and English as a compulsory or elective subject or as a medium of examination at the degree level, OR Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English with English Medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level, OR Master's degree from a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subject or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level; (ii) Three year's experience of using/applying terminology (Terminological work) in Hindi and translation work from English to

		Central/State Government/Autonomous Bodies/Statu Organizations/Public Sector Undertakings/Universities or recogni Research of Educational Institutions. OR Three year's experience of teaching in Hindi and English or research in Hindi or English under Central/State Government/Autonomous Bodies/Statutory Organizations/Public Sector Undertakings/Universities or recognized Research of Educational Institutions. Desirable: Studied of one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule of the Constitution at 10th Level from a recognized Board. Note 1: The Departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. 2. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the central government shall ordinarily not to exceed 03 years. 3. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications.
7	Duties of Assistant Director	The Assistant Director will be responsible for the supervisions of the staff, i.e. Technical Assistants, Research Assistants/Senior Translators and Training Officers/Translation Officers placed under his charge. He may be required to work in any Division of the Bureau. The Assistant Director working in the Translation Division will finalise the translation vetted and submitted to him by Translation Officers. It will be his responsibility to send the finalised translations to the concerned Ministries/Departments/Offices. The Assistant Director working in the Evaluation and Training Division will finalise the training material as well as the training programmes and schemes; will arrange for the training; will finalise the syllabi and courses for training; will finalise and produce help and reference literature etc. prepared by Research Assistants and Training Officers. He will also be required to deliver lectures to trainees undergoing training.

ANNEXURE-II

BIO DATA/CURRUCULUM VITAE PROFORMA

1. Name and Address (in Block Letters) (Mob. No. and Email ID)	
2. Date of Birth (in Christian era)	
3. i) Date of entry into service ii) Date of retirement under Central/State	
4. Educational Qualifications	
5. Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (if any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)	
Qualifications/Experience required as mentioned in the advertisement/vacancy circular.	Qualifications/Experience possessed by the officer
Essential	**Essential**
A) Qualification B) Experience	A) Qualification B) Experience
Desirable	**Desirable**
A) Qualification B) Experience	A) Qualification B) Experience
5.1 **Note :** This column needs to be amplified to indicate Essential and Desirable Qualifications as mentioned in the RRs by the Administrative Ministry/Department/Office at the time of issue of Circular and issue of Advertisement in the Employment News. 5.2 In the case of Degree and Post Graduate Qualifications, elective/main subject and subsidiary subjects may be indicated by the candidates.	
6. Please state clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requisite Essential Qualifications and work experience of the post.	

6.1 **Note :** Borrowing Departments are to provide their specific comments/views confirming the relevan[t] essential qualification/work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio data) with reference to the post applied.

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Institution	Post held on regular basis	From	To	*Pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the post held on regular basis	Nature of Duties(in detail) highlighting experience required for the post applied for

* **Important** : Pay-band and Grade Pay under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only pay Band and Grade Pay/Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below :

Office/Institution	Pay, Pay Band, and Grade Pay drawn under ACP/MACP Scheme.	From	To

8. Nature of present employment i.e. Ad-hoc or Temporary or Quasi-Permanent or Permanent.	
9. In case the present employment is held on deputation/contract basis, Please state-	

a) The date of initial appointment	b) Period of appointment on deputation/contract	c) Name of the parent office/organization to which the applicant belongs.	d) Name of the post and pay of the post held in substantive capacity in the parent organization.

9.1**Note** : In case of Officers already on deputation, the applications of such officers should be forwarded by the parent cadre/Department along with Cadre Clearance, Vigilance Clearance and Integrity Certificate. 9.2 **Note:** Information under Column 9 (c) & (d) above must be given in all cases where a person is holding a post on deputation outside the cadre/organization but still maintaining a lien in his parent cadre/organization.	
10. If any post held on Deputation in the past by the applicant, date of return from the last deputation and other details.	

11. Additional details about present employment : Please state whether working under (indicate the name of your employer against the relevant column) a) Central Government b) State Government c) Autonomous Organization d) Government Undertaking e) Universities f) Others	
12. Please state whether you are working in the same Department and are in the feeder grade or feeder to feeder grade.	
13. Are you in Revised Scale of Pay? If yes, give the date from which the revision took place and also indicate the pre-revised scale.	

14. Total emoluments per month now drawn

Basic Pay in the Pay Band	Grade Pay	Total Emoluments

15. In case the applicant belongs to an Organization which is not following the Central Government Pay Scale, the latest salary slip issued by the Organization showing the following details may be enclosed.

Basic Pay with Scale of Pay and rate of increment.	Dearness Pay/Interim relief/ other Allowances etc., (with break-up details)	Total Emoluments

16. A Additional information, if any, relevant to the post you applied for in support of your suitability for the post. (This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii) professional training and (iii) work experience over and above prescribed in the Vacancy Circular/Advertisement) (Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)	
16. B Achievements: The candidates are requested to indicate information with regard to; (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/Scholarship/Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/institutions/societies and; (iv) Patents registered in own name or achieved for the organization (v) Any research/innovative measure involving official recognition (vi) Any other information (Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)	
17. Please state whether you are applying for deputation (ISTC)/Absorption/Re-employment Basis. #(officers under Central/State Governments are only eligible for "Absorption". Candidates of non-Government Organizations are eligible only for Short Term Contract)	

# (The option of 'STC'/Absorption/ 'Re-employment' are available only if the vacancy circular specially mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or "Re-employment").	
18. Whether belongs to SC/ST	

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the information furnished in the Curriculum Vitae duly supported by the documents in respect of Essential Qualification/ Work Experience submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post. The information/details provided by me are correct and true to the best of my knowledge and no material fact having bearing on my selection has been suppressed/withheld.

Signature of the Candidate

Address with Email ID.............

Date
Place:

CERTIFICATION BY THE EMPLOYER/CADRE CONTROLLING AUTHORITY

The information/details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/ She possess educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

2. Also certified that;
i) There is no vigilance or disciplinary case pending/contemplated against Shri/Smt ....
ii) His/ Her integrity is certified.
iii) His/ Her ACR/APAR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACR/APARs for the last 5 years duly attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Government of India or above are enclosed.
iv) No major/minor penalty has been imposed on him/her during the last 10 years or A list of major/minor penalties imposed on him/her during the last 10 years is enclosed (as the case may be)

Countersigned
(Employer/Cadre Controlling Authority with Seal)

फा.सं. 13011/32/2019-रा.भा.(के.अनु.ब्यूरो)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग

चौथा तल, एन.डी.सी.सी. भवन,
जयसिंह रोड, निकट जंतर-मंतर,
नई दिल्ली-1, दिनांक:1 (अगस्त,2021
17 AUG 2021

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में सहायक निदेशक संशोधित वेतन लेवल-10,(रु. 56,100-1,77,500/-) के 13 पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में सहायक निदेशक संशोधित वेतन लेवल-10, (रु. 56,100-1,77,500/-) के तेरह पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए, उपयुक्त अधिकारियों की सेवाओं की तत्काल आवश्यकता है। इस पद के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव तथा अन्य ब्यौरे अनुबंध-I में दिए गए है। इस पद पर चयनित अधिकारी का वेतन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था(वेतन-II), समय-समय पर यथा संशोधित, में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

2. इससे पूर्व दिनांक 23.12.2019 को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में सहायक निदेशक संशोधित वेतन मान लेवल-10, (रु. 56,100-1,77,500/-) के 08 पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। इस विज्ञापन के विरुद्ध निर्धारित समय-सीमा के अंदर मात्र 02(दो) आवेदन प्राप्त हुए।

अत: इन रिक्तियों को भरने के लिए पुन: विज्ञापन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है और अब प्रतिनियुक्ति कोटे से भरे जाने वाले पदों की संख्या 13 (तेरह) हो गई है। इस संबंध में पूर्व दिनांक 23.12.2019 के विज्ञापन के आलोक में आवेदन करने वाले आवेदकों को पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु उनके लिए भी इस ज्ञापन के अनुबंध-I के मद संख्या 5 मे उल्लेखित शर्ते लागू होंगी और उन्हे अपने नवीनतम ए पी ए आर / सत्यनिष्ठा / सतर्कता निकासी इत्यादि जैसा कि नीचे 3(i)से 3(v) मे दिए गए है प्रस्तुत करने होंगे।

3. अत: अनुरोध है कि इस पद के लिए योग्य, इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों, जिन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन पत्र (दो प्रतियों में) संलग्न प्रोफार्मा (अनुबंध- I I) में, इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने या इस कार्यालय ज्ञापन के इम्प्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर, जो भी स्थिति बाद में, निम्नलिखित दस्तावेजों सहित अधोहस्ताक्षरी को उचित माध्यम से भेज दें-

(I) आवेदक की संपूर्ण गोपनीय रिपोर्टों के मूल डोजियर अथवा पिछले पांच वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की फोटो प्रतियां। फोटो प्रति का प्रत्येक पृष्ठ समूह "क" राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हो।

(II) सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र।

(III) अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनिक/सतर्कता का मामला लंबित न हो तथा न ही इस प्रकार का कोई मामला चलाए जाने का विचार है, का प्रमाण पत्र।

(IV) अधिकारी पर पिछले 10 वर्षों की अवधि के दौरान यदि कोई छोटी/बड़ी शास्ति लगाई गई हो, का विवरण। (यदि कोई शास्ति न लगाई हो तो "शून्य" प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए)

(V) आवेदक के संबंध में संवर्ग अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

4. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र या जिनके साथ संपूर्ण वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों का डोजियर या वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की सत्यापित प्रतियां नहीं होगीं या संबंधित

कार्यालय की सहमति के बिना प्राप्त होंगे अन्यथा अपूर्ण होंगे, उन आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। जो अधिकारी आवेदन करेंगे उन्हें अपना आवेदन पत्र बाद में वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय इस बात की जांच एवं पुष्टि कर ली जाए कि अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए विवरण सही हैं। इस बात की भी पुष्टि कर दी जाए कि नियुक्ति के लिए चुने जाने की स्थिति में, संबंधित अधिकारी को उसके कार्यों से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

5. इससे पूर्व दिनांक 23.12.2019 को जारी विज्ञापन में अनुबंध-I कॉलम सं. 5 में विज्ञापित प्रतिनियुक्ति की अवधि "साधारणतया 04 वर्षों से अधिक नहीं" के स्थान पर "साधारणतया 03 वर्षों से अधिक नहीं" पढ़ा जाए।

आनंद कुमार 16/8/21
(आनंद कुमार)
निदेशक (प्रशिक्षण एवं नीति)
दूरभाष : 011-23438250

सेवा में,

1. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. राष्ट्रपति सचिवालय।
3. उप राष्ट्रपति सचिवालय।
4. प्रधानमंत्री कार्यालय।
5. मंत्रीमंडल सचिवालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग।
7. लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय।
8. संघ लोक सेवा आयोग।
9. केंद्रीय सतर्कता आयोग।
10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
11. गृह मंत्रालय(मुख्यालय)/न्याय विभाग/ जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग तथा राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी/डेस्क/अनुभाग।
12. गृह मंत्रालय के सभी काडर यूनिट।
13. सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र सरकार।
14. निदेशक(नीति/तकनीकी/कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय।
15. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
16. निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली।
17. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., राजभाषा विभाग।
18. मीडिया एक्जीक्यूटिव, डी.ए.वी.पी., सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली। (दस प्रतियां) इस परिपत्र को इम्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार पत्र के अगले अंक में इस विभाग को सूचित करते हुए, प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करें।
19. गार्ड फाइल।
20. अतिरिक्त प्रतियां 25

आनंद कुमार 16/8/21
(आनंद कुमार)
निदेशक (प्रशिक्षण एवं नीति)

अनुबंध- I

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, सहायक निदेशक के पद के लिए शैक्षिक अर्हताएं, अनुभव तथा अन्य विवरण

1	पद का नाम	सहायक निदेशक
2	पदों की संख्या	13(तेरह)
3	वर्गीकरण	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित
4	वेतनमान	वेतन मेट्रिक्स लेवल-10, (रु. 56,100-1,77,500/-)
5	प्रतिनियुक्ति की अवधि एवं आयु सीमा	प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
6	पात्रता	प्रतिनियुक्ति:- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार तथा संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी: (क) (i)जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित किए हुए हैं; अथवा (ii)जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7, (44,900-1,42,400 रुपए) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है: आवश्यक:- (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर की उपाधि, अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रुप में हिंदी के साथ अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि, अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रुप में अंग्रेजी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में हिंदी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि, अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रुप में हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम के साथ मास्टर की उपाधि,

		अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में हिंदी और अंग्रेजी या इन दोनों में से कोई एक परीक्षा के माध्यम और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रुप में हो, के साथ हिंदी और अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में मास्टर की उपाधि, (II) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी में शब्दावली का प्रयोग/लागू करना(शब्दावलीयों कार्य) और अंग्रेजी से हिंदी या इसके विपर्येण, वरीय रूप से तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य के अनुवाद का तीन वर्ष का अनुभव या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वायत्त निकायों या कानूनी संगठनों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थाओं के अधीन हिंदी और अंग्रेजी में अध्यापन या हिंदी या अंग्रेजी में अनुसंधान (शोध) का तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय:- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) स्तर पर हिंदी के अतिरिक्त संविधान के आठवीं अनुसूची में वर्णित किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो: टिप्पण: 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्ति व्यक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है। साधारणतया 04 वर्ष से अधिक नहीं होगी। 3. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
7	पद के कर्तव्य	सहायक निदेशक अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों यथा तकनीकी सहायक, अनुसंधान सहायक, वरिष्ठ अनुवादक और प्रशिक्षण अधिकारी/अनुवाद अधिकारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा। उसे ब्यूरो के किसी भी अनुभाग में तैनात किया जा सकता है। अनुवाद अनुभाग में कार्यरत सहायक निदेशक पुनरीक्षित अनुवाद को अंतिम रूप देंगे तथा इस तरह से अंतिम रूप से तैयार अनूदित सामग्री को संबंधित मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों को भिजवाने संबंधी कार्रवाई करेंगे। मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण प्रभाग में कार्यरत सहायक निदेशक प्रशिक्षण सामग्री एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे। वे प्रशिक्षण की व्यवस्था, पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देंगे। अनुसंधान सहायक और प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा तैयार संदर्भ साहित्य को अंतिम रूप देने में मदद करेंगे। उनसे यह भी अपेक्षित होगा कि वे प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण संबंधी व्याख्यान देंगे।

अनुबंध-II

आवेदन पत्र का प्रारूप

1 नाम और पता (स्पष्ट अक्षरों में) मोबाइल नं0 ईमेल आईडी	
2 जन्म तिथि (ईसवी सन् में)	
3 (I) सेवा में आने की तारीख (II) केंद्र/राज्य सरकारी नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख	
4 शैक्षिक योग्यताएं	
5 क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं पूरी करते हैं (यदि कोई अर्हता नियमों में निर्धारित अर्हता के समरूप मानी गई हो तो उसके प्रमाण का उल्लेख करें)	
विज्ञापित/रिक्ति परिपत्र में यथाउल्लिखित अर्हता/अनुभव आवश्यक: क) अर्हता ख) अनुभव	अधिकारी द्वारा प्राप्त अर्हता/अनुभव आवश्यक: क) अर्हता ख) अनुभव
वांछनीय: क) अर्हता ख) अनुभव	वांछनीय: क) अर्हता ख) अनुभव
5.1 टिप्पणी : परिपत्र/रोजगार में विज्ञापन जारी करते समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा भर्ती नियमों में यथाउल्लिखित आवश्यक और वांछित अर्हताओं को प्रदर्शित करने के लिए इस कॉलम को प्रवर्धित करने की आवश्यकता है। 5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हताओं के मामले में आवेदक के ऐच्छिक/मुख्य विषयों तथा सहायक विषयों को निर्दिष्ट करना होगा।	

6 ऊपर दी गई प्रविष्टियों के आलोक में कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि आप पद के लिए आवश्यक अर्हताएं और कार्य का अनुभव रखते हैं।	

6.1 टिप्पणी : आवेदित पद के संदर्भ में आवेदक द्वारा धारित संबद्ध आवश्यक अर्हता/ कार्य अनुभव (जीवनवृत्त में यथानिर्दिष्ट) की पुष्टि करते हुए आपूर्तिकर्ता विभागों को अपनी विशेष टिप्पणी/दृष्टिकोण उपलब्ध कराने होंगे।

7 अवधिवार रोजगार के ब्यौरे| यदि नीचे स्थान पर्याप्त न हो तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित अलग सीट संलग्न करें।

कार्यालय/संस्था	नियमित आधार पर धारित पद	से	तक	*नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / वेतनमान	कार्य का स्वरूप (विस्तृत रूप में) जिसमें आवेदित पद के लिए अपेक्षित अनुभव को विशिष्टता से दर्शाया गया है।

*महत्वपूर्ण : एसीपी/एमएसीपी के तहत स्वीकृत वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अधिकारी के लिए व्यक्तिगत होता है, इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान का उल्लेख किया जाना चाहिए। वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के साथ एसीपी/एमएसीपी के ब्यौरे का निम्नानुसार निर्दिष्ट किया जाए जहां आवेदक द्वारा ऐसे लाभ प्राप्त किए गए हों :

कार्यालय/संस्था	एसीपी/ एमएसीपी स्कीम के तहत आहरित वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	से	तक

8 वर्तमान रोजगार का स्वरूप अर्थात तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा अर्द्धस्थायी अथवा स्थायी	
9 प्रतिनियुक्ति / अनुबंध आधार पर धारित वर्तमान रोजगार के मामले में कृपया उल्लेख करें	

(क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख	(ख) प्रतिनियुक्ति/ अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि	(ग) आवेदक का मूल कार्यालय/ संगठन	(घ) मूल संगठन में वास्तविक सामर्थ्य में धारित पद का नाम और वेतन

9.1 टिप्पणी : पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों के मामले में ऐसे अधिकारियों के आवेदन उनके मूल कैडर/विभाग द्वारा संवर्ग अनापति, सतर्कता अनापति और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र के साथ अग्रेषित किए जाने चाहिए। 9.2 टिप्पणी : ऊपर कालम 9 (ग) और 9(घ) के तहत सूचना उन सभी मामलों में दी जाए जहां कोई आवेदक कैडर/संगठन से इतर प्रतिनियुक्ति पर पद धारण कर रहा है परंतु अपने मूल कैडर/ संगठन में अभी भी ग्रहणाधिकार पर है।	
10 आवेदक द्वारा पूर्व में यदि कोई पद प्रतिनियुक्ति पर धारित किया गया है तो पिछली प्रतिनियुक्ति से वापस आने की तारीख और अन्य ब्यौरे	
11 वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे कृपया उल्लेख करें - निम्नलिखित के अंतर्गत कार्यरत है : (संबद्ध कालम में अपने नियोक्ता का नाम निर्दिष्ट करें) (क) केंद्र सरकार (ख) राज्य सरकार (ग) स्वायत्त संगठन (घ) सरकारी उपक्रम (ङ) विश्वविद्यालय (च) अन्य	
12 कृपया उल्लेख करें : क्या आप उसी विभाग में और फीडर ग्रेड अथवा फीडर के फीडर ग्रेड में कार्यरत हैं	
13 क्या आप वेतन के संशोधित वेतनमान में हैं। यदि हां, तो संशोधन की तारीख और संशोधन पूर्व वेतनमान का उल्लेख करें।	

14 प्रतिमाह आहरित कुल परिलब्धियां

वेतनबैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां

15 यदि आवेदक ऐसे संगठन का सदस्य है जो केंद्र सरकार में लागू वेतनमान का अनुसरण नहीं करता तो संगठन द्वारा जारी निम्नलिखित ब्यौरे दर्शाने वाली अद्यतन वेतन पर्ची संलग्न की जाए।

वेतनमान और वृद्धि दर सहित मूल वेतन	महंगाई भत्ता/अंतरिम सहायता/ अन्य भत्ते आदि (अलग-अलग ब्यौरों के साथ)	कुल परिलब्धियां

16(क) आवेदित पद के संबंध में, पद हेतु आपकी उपयुक्तता के समर्थन में	

अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो। (इसके अलावा (1) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता (2) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (3) रिक्ति परिपत्र/ विज्ञापन में निर्धारित अतिरिक्त कार्य अनुभव, के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है।) (टिप्पणी : स्थान अपर्याप्त होने पर अलग शीट संलग्न करें)	
16(ख) उपलब्धियां : उम्मीदवार कृपया निम्नलिखित के संबंध में सूचना उपलब्ध कराएं:- (I) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट्स तथा विशेष प्रोजेक्ट्स (II) पुरस्कार/छात्रवृति/आधिकारिक प्रशस्ति (III) व्यावसायिक निकायों/ संस्थाओं/ समितियों से संबंधन और (IV) अपने नाम से पंजीकृत अथवा संगठन के लिए प्राप्त पेटेंट्स (V) कोई अनुसंधान / अभिनव मानदंड जिसे आधिकारिक पहचान मिली हो (VI) कोई अन्य सूचना (टिप्पणी : स्थान अपर्याप्त होने पर कृपया अलग शीट संलग्न करें)	
17 कृपया उल्लेख करें कि आप प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)/ विलयन/ पुन: रोजगार आधार # पर आवेदन कर रहे हैं (केंद्र/राज्य सरकार के अधीन अधिकारी ही केवल "विलयन" के लिए पात्र हैं। गैर सरकारी संगठन के उम्मीदवार केवल अल्पकालिक अनुबंध के लिए पात्र हैं # "एसटीसी"/ "विलयन"/ पुन: रोजगार का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा जब रिक्ति परिपत्र में "एसटीसी" अथवा "विलयन" अथवा "पुन: रोजगार" द्वारा भर्ती का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया हो।	
18 क्या आप अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आते हैं।	

मैंने रिक्ति परिपत्र / विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत आवश्यक योग्यता / कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेजों द्वारा विधिवत समर्थित मेरे जीवनवृत् में प्रस्तुत सूचना का पद के लिए चयन के समय समिति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। मेरे द्वारा प्रदत्त सूचना / ब्यौरे मेरी पूरी जानकारी में ठीक और सत्य हैं तथा मेरे चयन को प्रभावित करने वाले किसी विषय को छुपाया/ रोका नहीं गया है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

पता :- ....

ईमेल सहित ....

दिनांक

स्थान

[redacted]

नियोक्ता/ संवर्ग नियंत्रण अधिकारी द्‌वारा प्रमाणपत्र

कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार आवेदक द्‌वारा उपरोक्त आवेदन में दी गई सूचनाएं। ब्यौरे सत्य और ठीक हैं। वे रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते/रखती हैं। चयन होने की स्थिति में उन्हें तत्काल मुक्त कर दिया जाएगा।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

(i) श्री/श्रीमती .... के विरूद्‌ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनात्मक मामला लंबित/ विचारणीय नहीं है।

(ii) उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाती है।

(iii) उनकी सत्यनिष्ठा रिपोर्ट मिसिल (सीआर डोजियर) की मूल प्रति संलग्न की जाती है। भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उससे ऊपर के पद के अधिकारी द्‌वारा विधिवत सत्यापित पिछले 05 वर्षों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्ट की छाया प्रतियां संलग्न की जाती हैं।

(iv) पिछले वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी/ छोटी शास्ति आरोपित नहीं की गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर लगाई गई बड़ी/ छोटी शास्ति की सूची संलग्न की गई है। (जैसा भी मामला हो)

प्रतिहस्ताक्षरित
(नियोक्ता/संवर्ग नियंत्रक अधिकारी मुहर सहित)